

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस नं. 2024/247)

प्रकरण संख्या:- 93/2024

तारीख दायर:- 07/08/2024

निर्णय दिनांक:-30/10/2025

उनवान

1. प्रेमसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. जीवराज पिता सुवालाल जाति कलाल निवासी कालागुन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. रेखा देवी पत्नी डालचन्द जाति कलाल निवासी कालागुन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. शंकरलाल पिता सुवालाल जाति कलाल निवासी कालागुन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. छितरमल पिता मगनीराम जाति रेगर निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. चंद्रकांता कंवर पत्नी हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. पुरणसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. गोविन्दसिंह पिता रामसिंह चुण्डावत जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. पुनाराम पिता हुकमा कलाल निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. रूपा पिता हुकमा कलाल निवासी सुरतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956
:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी एवं कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 43 आराजी संख्या 220, 221, 222 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 132 आराजी संख्या 223 कुल किता 01 कुल रकबा 4.0400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।



प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 04 ने पत्थरगढ़ी किए जाने हेतु सहमति प्रदान की।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा संपूर्ण नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 43 के आराजी संख्या 221 रकबा 1.3400 हैक्टेयर गैर मु0 रास्ता को छोड़ते हुए आराजी संख्या 220, 222 कुल किता 02 एवं खाता संख्या 132 आराजी संख्या 223 कुल किता 01 कुल रकबा 4.0400 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पड़ोसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा संपूर्णगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



01/01/2026
(मोहकम सिंह सिन्हा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)